अनुदान संख्या 48 - भारी उद्योग विभाग
GRANT No. 48–DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
पूरक	*Supplementary*		*41,00*	*40,66*	*–34*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	285,50,00	860,51,00	382,74,18	–477,76,82
पूरक	Supplementary	575,01,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				477,34,16
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	628,58,00	794,37,00	615,81,42	–178,55,58
पूरक	Supplementary	165,79,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				177,93,58

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (47776.82 लाख रु.) अगस्त, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 57501.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 83 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 56 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.47776.82 lakhs) constituted 83 percent of the supplementary grants of Rs.57501.00 lakhs obtained in August, 2007 and March, 2008 and 56 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष ''2852'' उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	27681.00			
पू.	S.	57501.00	37367.84	37366.92	–0.92
पु.	R.	–47814.16			

(I) 43695.50 लाख रु. का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 43694.00 लाख रु. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.43695.50 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these Rs.43694.00 lakhs accounted for under the following heads:-

(का) ''इंजीनियरी उद्योग - अन्य इंजीनियरी उद्योग'' -

(A) "Engineering Industries - Other Engineering Industries" –

(क) ''राष्ट्रीय इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड के लिए पुन:प्रवर्तन पैकेज के भाग के रूप में कर्ज को बट्टे खाते डालना'' - 9055.00 लाख रु. का पूरक प्रावधान था;

(a) "Write off of Loans as part of revival package for National Instruments Ltd." - supplementary provision of Rs.9055.00 lakhs;

(ख) ''राष्ट्रीय इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड के लिए पुन:प्रवर्तन पैकेज के भाग के रूप में ब्याज का अधित्याज'' - 13808.00 लाख रु. का पूरक प्रावधान था; और

(b) "Waiver of Interest as part of revival package for National Instruments Ltd." – supplementary provision of Rs.13808.00 lakhs; and

(ग) ''राष्ट्रीय इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड के लिए पुन:प्रवर्तन पैकेज के भाग के रूप में इक्विटी को बट्टे खाते डालना'' - 831.00 लाख रु. का पूरक प्रावधान था।

(c) "Write off of Equity as part of revival package for National Instruments Ltd."– supplementary provision of Rs.831.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा छूट/बट्टे खाते को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non-approval of waiver/ write off by the Board for Industrial and Financial Reconstruction.

(खा) ''सामान्य - औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय आटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना'' - 20000.00 लाख रु. परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(B) "General – Industrial Education, Research and Training – National Automotive Testing and R & D Infrastructure Project" – Rs.20000.00 lakhs – due to non-approval of projects.

(II) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(का) ''इंजीनियरी उद्योग - अन्य इंजीनियरी उद्योग'' -

(क) ''भारी इंजीनियरी निगम लि. के लिए पुन:प्रवर्तन पैकेज के भाग के रूप में गारंटी शुल्क सहायता'' - 103.00 लाख रु. की बचत (253.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्राालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम को लागू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्यमों को बैंक वित्त पर ब्याज सहायता'' - 1350.77 लाख रु. की बचत (2400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्यमों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के लिए भारत सरकार गारंटी बांडों को मंत्रिामंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''हिंदुस्तान मशीन टूल्स लि. के लिए पुन:प्रवर्तन पैकेज के भाग के रूप में गारंटी शुल्क सहायता'' - 255.00 लाख रु. की बचत (469.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कंपनी द्वारा बांडों का मोचन किए जाने के कारण हुई।

(घ) ''पूंजीगत माल क्षेत्रा का आधुनिकीकरण'' - 1886.58 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''सामान्य - औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना के संबंध में व्यय'' - 522.00 लाख रु. की बचत (2501.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाओं/स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (17855.58 लाख रु.) अगस्त, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 16579.00 लाख रु. के पूरक अनुदान

(II) Savings also occurred under the following heads:-

(A) "Engineering Industries – Other Engineering Industries" -

(a) "Guarantee fee subsidy as part of revival package for Heavy Engineering Corporation Ltd." – saving of Rs.103.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.253.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Interest subsidy on bank finance to Public Sector Enterprises for implementation of Voluntary Retirement Scheme" – saving of Rs.1350.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2400.00 lakhs) was due to non- approval by the Cabinet for Govt. of India Guarantees Bonds for Voluntary Retirement Scheme to the Public Sector Enterprises.

(c) "Guarantee fee subsidy as part of revival package for HMT Ltd." – saving of Rs.255.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.469.00 lakhs) was due to redemption of bonds by the company.

(d) "Modernisation of Capital Goods Sector" – saving of Rs.1886.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to non- approval of scheme by the Board for Industrial and Financial Reconstruction.

(B) "General – Industrial Education, Research and Training - Expenditure in connection with Science & Technology Plan" – saving of Rs.522.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2501.00 lakhs) was due to non-approval of some projects/schemes.

2. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.17855.58 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.16579.00 lakhs obtained in August, 2007 and March, 2008 and

से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

constituted 22 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष / Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय / Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas					
मू.	O.	10000.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–10000.00			
मुख्य शीर्ष ''4854'' सीमेंट और धातु रहित खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय / Major Head "4854" Capital Outlay on Cement and Non-metallic Mineral Industries					
मू.	O.	2501.00	532.00	532.00	. .
पु.	R.	–1969.00			
मुख्य शीर्ष ''4858'' इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय / Major Head "4858" Capital Outlay on Engineering Industries					
मू.	O.	9852.00			
पू.	S.	16577.00	17088.00	17087.00	–1.00
पु.	R.	–9341.00			
मुख्य शीर्ष ''4860'' उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय / Major Head "4860" Capital Outlay on Consumer Industries					
मू.	O.	255.00			
पू.	S.	1.00	5822.25	5819.25	–3.00
पु.	R.	5566.25			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''6854'' सीमेंट और धातुरहित खनिज उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6854" Loans for Cement and Non-metallic Mineral Industries				
मू.	O.	15000.00	533.00	533.00	. .
पु.	R.	–14467.00			
मुख्य शीर्ष ''6858'' इंजीनियरी उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6858" Loans for Engineering Industries				
मू.	O.	25000.00	33297.47	33239.47	–58.00.
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	8296.47			
मुख्य शीर्ष ''6860'' उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6860" Loans for Consumer Industries				
मू.	O.	250.00	4370.70	4370.70	. .
पु.	R.	4120.70			

(I) 62594.00 लाख रु. का प्रावधान बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 62581.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4552'' -

(क) ''सीमेंट - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय सीमेंट निगम लि.'' - 1065.00 लाख रु.; और

(ख) ''कागज और अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - हिंदुस्तान पेपर निगम लि.'' - 8935.00 लाख रु.।

(I) Provision of Rs.62594.00 lakhs remained wholly unutilised under twelve heads; of these Rs.62581.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4552" -

(a) "Cement – Investment in Public Sector and Other Undertakings – Cement Corporation of India Ltd." – Rs.1065.00 lakhs; and

(b) "Paper and Newsprint – Investments in Public Sector and Other Undertakings – Hindustan Paper Corporation Ltd." – Rs.8935.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(ख) मुख्य शीर्ष ''4854'' - ''अन्य - अन्य व्यय - सार्वजनिक क्षेत्रा के उपक्रमों में परिवर्धन, आशोधन और प्रतिस्थापन के लिए निवेश'' - 2500.00 लाख रु. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "4854" – "Others- Other Expenditure – Investment for Addition, Modification and Replacement in PSUs" – Rs.2500.00 lakhs – due to non-approval of schemes by the Board for Industrial and Financial Reconstruction.

(ग) मुख्य शीर्ष ''4858'' - ''अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए एकमुश्त प्रावधान'' - 9831.00 लाख रु. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा पूंजी निवेश किए जाने वाली किसी पुन:प्रवर्तन योजना को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(C) Major Head "4858" – "Other Engineering Industries – Investments in Public Sector and Other Undertakings – Lumpsum provision for Restructuring of PSEs" – Rs.9831.00 lakhs – due to non-approval of any revival plan requiring capital investments by the Board for Industrial and Financial Reconstruction.

(घ) मुख्य शीर्ष ''6854'' - ''अन्य - अन्य कर्ज - सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्यमों के पुन:प्रवर्तन स्कीमों का कार्यान्वयन'' - 15000.00 लाख रु. पुन: प्रवर्तन स्कीम के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रा के उपक्रमों के लिए निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

(D) Major Head "6854" - "Others - Other Loans – Implementation of revival schemes of PSEs" – Rs.15000.00 lakhs- due to re-appropriation of funds to various Public Sector Undertakings under revival scheme.

(ङ) मुख्य शीर्ष ''6858'' - ''अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीमों का कार्यान्वयन और सांविधिक देयताओं की अदायगी'' - 25000.00 लाख रु. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम/स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम लागू करने और सांविधिक देयताओं की अदायगी किए जाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रा के विभिन्न उपक्रमों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

(E) Major Head "6858" – "Other Engineering Industries - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Implementation of Voluntary Retirement Schemes (VRS) and payment of statutory dues" - Rs.25000.00 lakhs – due to re-appropriation of funds to various Public Sector Undertakings for implementation of Voluntary Retirement Scheme/Voluntary Separation Scheme and payment of statuary dues.

(च) मुख्य शीर्ष ''6860'' - ''कागज और अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - हिंदुस्तान पेपर निगम लि. को कर्ज'' - 250.00 लाख रु. स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(F) Major Head "6860" – "Paper and Newsprint – Loans to Public Sector and Other Undertakings – Loans to Hindustan Paper Corporation Ltd." – Rs.250.00 lakhs – due to non-approval of the scheme.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (18275.03 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक में

3.(I) The above savings were partly (Rs.18275.03 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported

1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "4860" - "कागज और अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - हिंदुस्तान पेपर निगम लि. में निवेश" - 5209.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5208.00 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "6858" - "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज" -

(क) "एंड्रयू यूल एंड कंपनी लि. को कर्ज" - 13008.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 13007.00 लाख रु. था।

(ख) "राष्ट्रीय इंस्ट्रुमेंट्स लि. को कर्ज" - 58.03 लाख रु.।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "4854" - "सीमेंट - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय सीमेंट निगम लि. में निवेश" - 531.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "4858" -

(क) "परिवहन उपस्कर उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - स्कूटर इंडिया लि. में निवेश" - 159.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश" -

(i) "भारत भारी उद्योग लि. में निवेश" - 145.00 लाख रु. का अधिक व्यय (5.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh each under the following major heads:-

(A) Major Head "4860" – "Paper and Newsprint – Investments in Public Sector and Other Undertakings – Investment in Hindustan Paper Corporation Ltd." - Rs.5209.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5208.00 lakhs.

(B) Major Head "6858" – "Other Engineering Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings" -

(a) "Loans to Andrew Yule and Co. Ltd." – Rs.13008.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.13007.00 lakhs.

(b) "Loans to National Instruments Ltd." – Rs.58.03 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "4854" – "Cement - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Investment in Cement Corporation of India Ltd." – excess of Rs.531.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "4858" -

(a) "Transport Equipment Industries – Investments in Public Sector and Other Undertakings - Investment in Scooters India Ltd." – excess of Rs.159.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh); and

(b) "Other Engineering Industries – Investments in Public Sector and Other Undertakings" –

(i) "Investment in Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd." – excess of Rs.145.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए एकमुश्त प्रावधान से पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का अंतरण किए जाने के कारण हुआ।

(ii) ''एंड्रयू यूल एंड कंपनी लि. में निवेश'' - 148.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 2.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''4522'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''4860'' - ''अन्य'' -

(क) ''फोटो फिल्में - हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स विनिर्माण कं. लि. में निवेश'' - 149.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''साल्ट - हिंदुस्तान साल्ट् लि. में निवेश'' - 108.25 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए एकमुश्त प्रावधान से पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का अंतरण किए जाने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष ''6854'' - ''सीमेंट - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड को कर्ज'' - 533.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ङ) मुख्य शीर्ष ''6858'' अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(क) ''परिवहन उपस्कर उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - स्कूटर इंडिया लि. को कर्ज'' - 160.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य

Excess under the above two heads was due to transfer of funds by re-appropriation from lumpsum provision for restructuring of Public Sector Enterprises.

(ii) "Investment in Andrew Yule and Company Ltd." – excess of Rs.148.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) Major Head "4860" – "Others" –

(a) "Photo Films – Investment in Hindustan Photo Films Mfg. Co. Ltd." - excess of Rs.149.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh); and

(b) "Salt – Investment in Hindustan Salts Ltd." – excess of Rs.108.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh).

Excess under the above two heads was due to transfer of funds by re-appropriation from lumpsum provision for restructuring of Public Sector Enterprises.

(D) Major Head "6854" "Cement – Loans to Public Sector and Other Undertakings – Loans to Cement Corporation of India Ltd." – excess of Rs.533.00 lakhs (against nil provision) - was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(E) Major Head "6858" - excess occurred under the following heads:-

(a) "Transport Equipment Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings - Loans to Scooters India Ltd." – excess of Rs.160.00 lakhs (against nil provision) was

प्रावधान की तुलना में) सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए पुनर्विनियोग द्वारा एकमुश्त प्रावधान से निधियों का अंतरण किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज'' -

(i) ''हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड को कर्ज'' - 5718.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्यमों के पुनर्गठन और हिंदुस्तान केबल्स लि. के सार्वजनिक क्षेत्रा के कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम और सांविधिक देयताओं के लिए एकमुश्त प्रावधान से पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का अंतरण किए जाने के कारण हुआ।

(ii) ''भारत यंत्रा निगम लि. को कर्ज'' - 1691.83 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल के अनुमोदन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीमों/सांविधिक देयताओं और वेतन और मजदूरी के बकाया के समाशोधन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(iii) ''इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड को कर्ज'' - 2760.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(iv) ''हिंदुस्तान मशीन टूल्स लि. को कर्ज'' - 9184.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(v) ''भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड को कर्ज'' - 659.61 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(चा) मुख्य शीर्ष ''6860'' -

(क) ''कागज तथा अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - नेपा लिमिटेड को कर्ज'' - 1396.70 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''अन्य - फोटो फिल्में - हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स विनिर्माण कंपनी लिमिटेड को कर्ज'' - 2874.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना

due to transfer of funds by re-appropriation from lumpsum provision for restructuring of Public Sector Enterprises.

(b) "Other Engineering Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings" -

(i) "Loans to Hindustan Cables Ltd." - excess of Rs.5718.00 lakhs (against nil provision) was due to transfer of funds by re-appropriation from lumpsum provision for restructuring of Public Sector Enterprises and Voluntary Retirement Scheme and statutory dues of Public Sector Employees of Hindustan Cables Ltd.

(ii) "Loans to Bharat Yantra Nigam Ltd." - excess of Rs.1691.83 lakhs (against nil provision) was due to requirement of additional funds for clearing outstanding Voluntary Retirement Schemes/statutory dues and salary and wages with approval of Cabinet.

(iii) "Loans to Instrumentation Ltd." – excess of Rs.2760.00 lakhs (against nil provision);

(iv) "Loans to HMT Ltd." – excess of Rs.9184.00 lakhs (against nil provision);

(v) "Loans to Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd." – excess of Rs.659.61 lakhs (against nil provision);

(F) Major Head "6860" –

(a) "Paper and Newsprint - Loans to Public Sector and other Undertakings - Loans to Nepa Ltd." – excess of Rs.1396.70 lakhs (against nil provision); and

(b) "Others - Photo films – Loans to Hindustan Photo Films Mfg. Company Ltd." - excess of Rs.2874.00 lakhs (against nil provision).

में) हुआ।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय परिवर्धन, आशोधन और प्रतिस्थापन के लिए परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4854" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 199.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 9900 प्रतिशत था। इसमें एक ऐसा शीर्ष शामिल था जिसमें समस्त व्यय निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया गया था।

Excess under the above five heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "4854" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the Addition, Modification and Replacement.

(III) Under two heads excess of Rs.199.00 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 9900 percent of the sanctioned provision. This included one head where the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.